प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 07.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

"मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति फेज- 05" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 07.02.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.02.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई अपराध निरीक्षक श्री निर्मल कुमार वाजपेई मय हमराह कां0 धर्मेन्द्र कुमार व कां0 अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना कबरई में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2025 धारा 333/115(2)/351(3)/64(1) बीएनएस से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त राकेश अहिरवार पुत्र जुगुल किशोर उर्फ जुग्गू अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम उटियां थाना कबरई जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के ग्राम धरौन रोड़ खनिज बैरियर के पास थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. अपराध निरीक्षक निर्मल कुमार वाजपेई
2. कां0 धर्मेन्द्र कुमार
3. कां0 अर्जुन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राकेश अहिरवार पुत्र जुगुल किशोर उर्फ जुग्गू अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम उटियां थाना कबरई जनपद महोबा।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.02.2025

मीडिया सेल, महोबा

अपनी ही पुत्री का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपित पिता/वांछित अभियुक्त को थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्र0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित की गई पुलिस टीम ने अपनी ही पुत्री का शारीरिक शोषण किये जाने के प्रकरण में थाना महोबकंठ में पंजीकृत किए गए मु0अ0सं0 25/2025 धारा 64(2)च/115(2)/352/351(2)/324(4) बीएनएस से संबंधित वाँछित अभियुक्त रामरतन राजपूत पुत्र स्व0 वृन्दावन राजपूत उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र के रेलवे स्टेशन घुटई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह
2. का0 रोहित लोधी

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

रामरतन राजपूत पुत्र स्व0 वृन्दावन राजपूत उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

1.मु0अ0सं0 06/2024 धारा 323/325/504/506 भादवि0 थाना महोबकंठ ,
2.मु0अ0सं0 25/2025 धारा 64(2)च/115(2)/352/351(2)/324(4) **BNS**

थाना खरेला की पुलिस टीम ने 15 लीटर अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 06.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना खरेला प्रभारी निरीक्षक श्री सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा मय उ0नि0 राजकुमार, उ0नि0 अवनीश कुमार यादव व म0उ0नि0 नैन्शी प्रजापति के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध प्रचलित अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त श्याम करन लोधी पुत्र सुखनन्दन नि0 ग्रा0 बल्लायं थाना खरेला जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के बल्लाय के पास से हिरासत में लिया है, जिसके पास से 01 प्लास्टिक की पिपिया मे अवैध कच्ची महुआ शराब 15 लीटर नाजायज की बरामदगी की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरेला में मु0अ0सं0 08/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 राकेश कुमार शर्मा **2.** उ0नि0 राजकुमार
3. उ0नि0 अवनीश कुमार यादव **4.** म0उ0नि0 नैन्सी प्रजापति

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

श्याम करन लोधी पुत्र सुखनन्दन नि0 ग्रा0 बल्लायं थाना खरेला जनपद महोबा।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी द्वारा गठित की गई उ0नि0 भगवानदीन मय हमराह उ0नि0 राजनारायण के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त चन्द्रपाल पुत्र रामदास निवासी ग्राम नौसारा थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केश नं0 746/2023 धारा 406 भादवि0 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपाल में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम नौसारा थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 भगवानदीन
2. उ0नि0 राजनारायण

गिरफ्तार अभियुक्त –

चन्द्रपाल पुत्र रामदास निवासी ग्राम नौसारा थाना चरखारी जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 07.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

एक व्यक्ति के मृत्यु की प्राप्त सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुये पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। एवं नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।